भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3029

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण

3029. श्री अजय कुमार मंडल:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

श्रीमती नवनित रवि राणा:

श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) हरियाणा के सोनीपत जिले सहित देश भर में विद्युतीकरण अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो देश के सभी क्षेत्रों में 24 घटें बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) इसे कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(च) पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काराकाट, अमरावती, सिंहभूम, सीतामढ़ी, भागलपुल और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और खर्च की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और प्रत्येक गांव को विद्युत से जोड़ने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, भूमिगत केबलिंग और एरियल बंच्ड केबलिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। हरियाणा राज्य ने डीडीयूजीजेवाई के आरंभ से पूर्व अपने गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। इस स्कीम के दौरान देश के कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकृत गांवों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की।

सौभाग्य के अंतर्गत, सभी राज्यों (हरियाणा सहित) ने, दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरूआत से हरियाणा के सोनीपत जिले के 682 घरों सहित देश के कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है। विद्युतीकृत घरों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किन्हीं छूटे हुए गैर-विद्युतीकृत घरों का, जो दिनांक 31.03.2019 (सौभाग्य के कार्यान्वयन की अवधि) से पहले मौजूद थे लेकिन किसी वजह से डिस्कॉम द्वारा छूट गए थे, चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य के लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	**प्रस्तावित घरों की संख्या**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)**
राजस्थान	1,90,959	459.18
उतार प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित, सभी राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित लाभार्थी परिवार इन दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

(ग) से (ङ) : भारत में विद्युत क्षेत्र पिछले नौ वर्षों में विद्युत की कमी वाले देश से पर्याप्त विद्युत वाले देश में परिवर्तित हो गया है। विभिन्न स्रोतों से कुल 1,93,794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की गई है। उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 4,25,536 मेगावाट हो गई है।

इसके अलावा, 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए की रुपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है जिसने देश को एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण की सक्षमता सहित पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एकल ग्रिड से जोड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% (अनंतिम) हो गई हैं।

वितरण क्षेत्र की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं निष्पादित की गईं थीं जिसके अंतर्गत, राज्यों में 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।

भारत सरकार ने देश के विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2021 में 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय से चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को भी मंजूरी प्रदान की। इस स्कीम के कार्य-निष्पादन की अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के साथ-साथ 24x7 विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

(च) : सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई **स्कीम** के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी निधियों के सूचित उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में जारी की गई थीं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम-वार सौभाग्य **स्कीम** मंजूर की गई थी और संबंधित डिस्कॉमों को अनुमोदित कार्य के लिए निधियां जारी की गई थीं। आईपीडीएस के अंतर्गत सर्किल-वार कार्य संस्वीकृत किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और आरडीएसएस के अंतर्गत पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काराकाट, अमरावती, सिंहभूम, सीतामढी, भागलपुर और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली और आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न कार्यों के लिए संस्वीकृत और वितरित निधियों की मात्रा के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्र.सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18374**

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	200,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छतीसगढ	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	15,30,708	200,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुद्दुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	212,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	1,200,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उतराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		**2,62,84,350**	**18,85,374**	**2,81,69,724**	**11,83,870**	**4,43,700**	**2,86,13,424**

* सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र. सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए जिले	समापन लागत (करोड़ रुपये में)		वितरित किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)		उपयोग किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)	
				आरई*	डीडीयूजीजेवाई	आरई*	डीडीयूजीजेवाई	आरई*	डीडीयूजीजेवाई
1	बिहार	काराकट	रोहतास	-	248.66	-	149.68	100%	
			औरंगाबाद	236.61	253.52	171.07	152.59		
		सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	116.61	195.84	97.74	117.89		
		भागलपुर	भागलपुर	183.9	88.62	165.53	28.23		
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	-	76.97	-	40.57		
3	झारखंड	सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम	-	212.91	-	128.17		
			सराईकेला खरसावन	29.18	114.69	26.27	69.01		
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	-	10.19	-	6.13		
			जींद	-	18.43	-	11.1		
*परियोजनाएं वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गईं									

आईपीडीएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र. सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए सर्किल	समापन लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा पात्र अनुदान (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा कुल वितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	काराकाट	सासाराम तथा गया ओल्ड	174	104	104
		सीतामढ़ी	मुजफ्फरपुर	150	90	90
		भागलपुर	भागलपुर तथा भागलपुर (एन)	140	84	84
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	121	72	72
3	झारखंड	सिंहभूम	चाईबासा	40	24	24
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	5	3	3

आरडीएसएस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत और संवितरित निधियां

क्र.सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	शामिल किए गए जिले	संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा पात्र अनुदान (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा कुल वितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	काराकाट	रोहतास तथा औरंगाबाद	420.86	252.52	25.25
		सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	147.36	88.42	9.28
		भागलपुर	भागलपुर	188.56	113.14	11.31
2	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	290	174	9
3	झारखंड	सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम तथा सराईकेली	155	93	5
4	हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत	141	84	4

****